

राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ1008 (20)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2016-17/649

दिनांक : 19.09.2016

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर संभाग,
उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर संभाग,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर एवं झुंझुनूं जिले।

विषय:-भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जयपुर जोन की समीक्षा बैठक करने के क्रम में।


संदर्भ:-आदेश क्रमांक एफ1008 (20)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2016-17/614 दिनांक 30.08.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 23.09.2016 को होने वाली जयपुर जोन की समीक्षा बैठक अब निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार होगी:-

क्र. सं.	समीक्षा हेतु लिए जाने वाले जिले	बैठक का स्थान	दिनांक
1	अलवर व दौसा	अलवर	26.09.2016
2	सीकर व झुंझुनूं	सीकर	29.09.2016

जयपुर प्रथम व द्वितीय की समीक्षा बैठक हेतु तिथियों पृथक से सूचित की जाएंगी। समीक्षा बैठक के संबंध में जारी किये गये शेष आदेश पूर्ववत् रहेंगे।

नोट:- जयपुर की समीक्षा बैठक के निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।


(विनीता सिंह)

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
दिनांक: 19.09.2016

क्रमांक: एफ1008 (20)/एनएचएम/बी.एस.बी.वाई/2016-17/649

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
- प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
- जिला कलक्टर, जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा एवं झुंझुनूं जिले को पत्र क्रमांक एफ1008 (20)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2016-17/615 दिनांक 30.08.2016 के संबंध में।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर संभाग।
- उप निदेशक, चिकि. स्वा. एवं प.क. विभाग, जयपुर संभाग।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम व द्वितीय, अलवर, सीकर, दौसा एवं झुंझुनूं जिले।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर एवं सीकर को भेजकर लेख है कि वे बैठक संबंधी समस्त तैयारियों जैसे कि हॉल की व्यवस्था, भोजन, चाय-नास्ता एवं संबंधित को बैठक की सूचना पहुँचाया जाना सुनिश्चित करावें, इसके अतिरिक्त राज्य स्तर से आने वाली टीम के रहने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करावें।
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक (NRHM and NUHM), जयपुर प्रथम व द्वितीय, अलवर, सीकर, दौसा एवं झुंझुनूं जिले।
- श्री डी. वी. जंड, DGM, NIAC को भेजकर लेख है कि जिले के संबंधित बीमा कम्पनी समन्वयक को तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ बैठक में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जयपुर प्रथम व द्वितीय, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं जिले।
- प्रभारी सर्वर रूम समस्त को ई-मेल एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी